न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—203 सन् 2022

कृता राय वगैरह.........................वादीगण।

बनाम

हाकिम राय वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 05.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 हरेन्द्र राय की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादी सं0 02 के कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि मृत प्रतिवादी सं0 02 हरेन्द्र राय वल्द स्व0 भुआली राय का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 हरेन्द्र राय थे जिनकी मृत्यृ हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 02 हरेन्द्र राय का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। परंतु प्रतिवादी सं0 02 हरेन्द्र राय की मृत्यु की तिथि अपने आवेदन में दाखिल नहीं किया है जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी सं0 02 की मृत्यु कब हुई है। चूंकि वादी विलंब माफ करने हेतु आवेदन तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 24.07.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।